

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 09.08.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0-167/25 व अ0सं0-214/25 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त करन कठेरिया पुत्र सज्जन कठेरिया निवासी हथिका थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-65/25 धारा 103(1)/191(2)व(3)/352/351(2)/351(3)/61(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त करन सिंह पुत्र मिश्रीलाल निवासी उलरापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-120/25 धारा 310(3) बीएनएस व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.दिलीप कुमार, 2.कमलेश कुमार व 3.बलराम सिंह पुत्रगण देवीप्रसाद निवासीगण कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कुंवरलाल पुत्र स्व0 बाबूलाल उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम भन्देमऊ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज 23 अदद ट्वीन टावर देशी शराब क्वार्टर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.खालिद पुत्र गुलशेर खान निवासी अहरौली शेख थाना भोगनीपुर उम्र 27 वर्ष 2.पंकज यादव पुत्र सोबरन सिंह उम्र 34 वर्ष 3.दीपू चौहान पुत्र लक्ष्मीनारायण सिंह निवासीगण मगरौली थाना कालपी जनपद जालौन उम्र 45 वर्ष द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर 52 अदद ताश के पत्तों से जुआ खेलने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 256/25 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।